रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-10052022-235687 CG-DL-E-10052022-235687

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 330] No. 330] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 10, 2022/वैशाख 20, 1944 NEW DELHI, TUESDAY, MAY 10, 2022/VAISAKHA 20, 1944

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली. 9 मई. 2022

सा.का.िन. 345(अ).—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में चूना भिट्टियों में पेटकोक का विक्रय और उपयोग भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सा.का.िन. 45(अ), तारीख 19 जनवरी, 2018 द्वारा अधिसूचित किया गया था, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहां गया है) जिसमें उक्त अधिसूचना के साथ उपाबंध के रूप में उपाबंध सूची में उल्लिखित औद्योगिक इकाइयों को पेटकोक का विक्रय किया जाता है और उक्त सूची में कोई परिवर्तन, संबद्ध राज्य सरकार की सिफारिश और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुमोदन से किया जाएगा;

और राजस्थान राज्य सरकार की सिफारिश पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 2 और चूना भट्टियों की संख्या में वृद्धि तथा उक्त अधिसूचना के उपबंध में विद्यमान 3 चूना भट्टियों के ब्यौरों में संशोधन को अनुमोदित किया है;

अत:, अब केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना के उपाबंध में क्रम संख्यांक 450 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात् :-

3194 GI/2022 (1)

क्रम सं.	उद्योग का नाम	पता	चूना भट्टी की सं.	चूना उत्पादन क्षमता (मासिक) एमटी	चूना पत्थर उपभोग (मासिक) एमटी	पेट कोक उपभोग (मासिक) एमटी
"451	मेसर्स एनएस केमिकल्स	के. सं. 176/1 गांव बसनी हरि सिंह, तहसील भोपालगढ़, जिला-जोधपुर, राजस्थान	01	700	1500	140
452	मेसर्स आर एन केमिकल	के. सं. 1436/1, गांव हरियाधना, तहसील बिलारा, जिला-जोधपुर, राजस्थान	01	600	1200	120"।

[फा. सं. क्यू-16017/04/2018-सीपीए (पीटी)]

नरेश पाल गंगवार. अपर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना संख्यांक सा.का.िन. 45(अ), तारीख 19 जनवरी, 2018 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्यांक सा.का.िन. 495(अ), तारीख 25 मई, 2018, सा.का.िन. 397(अ), तारीख 31 मई, 2019, सा.का.िन. 906(अ), तारीख 12 दिसंबर, 2019, सा.का.िन. 113(अ), तारीख 14 फरवरी, 2020, सा.का.िन. 714(अ), तारीख 13 नवंबर, 2020, सा.का.िन. 46(अ), तारीख 22 जनवरी, 2021, सा.का.िन. 350(अ), तारीख 28 मई, 2021 सा.का.िन. 3(अ), तारीख 4 जनवरी, 2022 और सा.का.िन. 436(अ), तारीख 16 फरवरी, 2022 द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 9th May, 2022

G.S.R. 345(E).—Whereas, directions relating to sale and use of pet coke in lime kilns in the National Capital Region (NCR) States was notified by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide*number G.S.R. 45(E), dated the 19th January, 2018, wherein inter alia, it has been provided that the sale of pet coke shall be made only to the industrial units mentioned in the list annexed to the said notification as Annexure, and any change in the said list shall be made on the recommendation of the concerned State Government and with the approval of the Central Pollution Control Board;

And whereas, on the recommendation of the State Government of Rajasthan, the Central Pollution Control Board has approved further addition of two units for two lime kilns in the Annexure to the said notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following further amendments in the said notification, namely:-

In the said notification, in the Annexure, after serial number 450 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:-

S. No.	Industry Name	Address	No. of Lime Kilns	Lime Production Capacity (Monthly) MT	Limestone Consumption (Monthly) MT	Pet Coke Consumption (Monthly) MT
"451	M/s. NS Chemicals	K. No. 176/1, Village-BasniHari Singh, Tehsil-Bhopalgarh, District-Jodhpur, Rajasthan	01	700	1500	140

452 M/s. RN Chemical K. No. 1436/1, Village- Hariyadhana, Tehsil- Bilara, District Jodhpur, Rajasthan	600	1200	120".
--	-----	------	-------

[F. No. Q-16017/04/2018-CPA(pt)]

NARESH PAL GANGWAR, Addl. Secy.

Note : The principle notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 45(E), dated the 19th January, 2018 and subsequently amended *vide* notification numbers G.S.R. 495(E), dated the 25th May, 2018, G.S.R. 397(E), dated the 31st May, 2019, G.S.R. 906(E), dated the 12th December, 2019, G.S.R. 113(E), dated the 14th February, 2020, G.S.R. 714(E), dated the 13th November, 2020, G.S.R 46(E), dated the 22nd January, 2021, G.S.R 350(E), dated the 28th May, 2021, G.S.R. 3(E), dated the 4th January, 2022 and G.S.R. 136(E), dated the 16th February, 2022.